

तारीख
हुक्म

25/7/2024

पत्रा- फेडा दुई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील उप.
नहीं। प्रार्थी व वकील प्रार्थी को बार-
बार आवाज लगावा जरी। लेख प्रार्थी
का सब अक्षर हाजरी रुझम पैरवी
में खारिज किया जा चुका है ठाक
उस प्रार्थना-पत्र 212 RTA का कोई
अवलोकन नहीं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-
पत्र इसी तरह पर खारिज किया
जाता है।

पत्रावली पुलक शुभा (होने)
बाबिल सुन्दर है। 